ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया|

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत थानाकलां में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सरोज देवी	01.04.2022 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	मिस मधु बाला	01.04.2022 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष	51.14
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.52
3)	7.2	मोबाइल टावर शुल्क की वसूली हेतु शेष	0.60
4)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.04
5)	8	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.20

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-8	अनिर्णीत।	
2.	पैरा-10	अनिर्णीत।	
3.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
4.	पैरा-12	अनिर्णीत।	
5.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
6.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
7.	पैरा-15	अनिर्णीत।	
8.	पैरा-16	अनिर्णीत।	
9.	पैरा-17	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-18	अनिर्णीत।	

2) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 310665 दिनांक 15/02/2023 द्वारा कर ली गई है।
2.	पैरा-4 (क, ख, ग व घ)	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 (क, ख, ग व घ) में पुन: प्रारूपित।

3.	पैरा-5	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में पुनः प्रारूपित।
4.	पैरा-6.1	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुनः प्रारूपित।
5.	पैरा-6.2	अनिर्णीत।	
6.	पैरा-6.3	अनिर्णीत।	
7.	पैरा-7.1	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.1 में पुनः प्रारूपित।
8.	पैरा-7.2	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.2 में पुनः प्रारूपित।
9.	पैरा-8.1	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-8.2	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-8.3	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-9.1	निर्णीत।	सटिप्पण उत्तरानुसार।
13.	पैरा-9.2	निर्णीत।	₹3500/- की वसूली रसीद संख्या 899645 दिनांक 20/01/24 द्वारा कर ली गई है, जिसके इन्द्राज व जमा बारे पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 44 दिनांक 20/01/24 पर कर ली गई है।
14.	पैरा-9.3	निर्णीत।	₹2390/- की वसूली सम्बन्धित से कर ली गई है, जिसके इन्द्राज व जमा बारे पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 49 दिनांक 15/02/23 पर कर ली गई है।
15.	पैरा-9.4	अनिर्णीत।	
16.	पैरा-9.5	निर्णीत।	सटिप्पण उत्तरानुसार।
17.	पैरा-10.1	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 में पुनः प्रारूपित।
18.	पैरा-10.2	निर्णीत।	अपेक्षित रजिस्टरों की सत्यापना उपरांत।
19.	पैरा-10.3	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 में पुनः प्रारूपित।
20.	पैरा-10.4	अनिर्णीत।	
21.	पैरा-10.5	अनिर्णीत।	
22.	पैरा-11	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री देव राज व अशवनी कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 20.01.2024 से 24.01.2024 तक ग्राम पंचायत थानाकलां के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2022-23	12/2022	12/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 70/2024 दिनांक 24/01/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत थानाकलां द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित थानाकलां के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 310684 दिनांक 29/01/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4(क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत थानाकलां द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59/2024 दिनांक 20.01.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान तीन रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	4965726.1	5252092.084	10217818.18	5104165.084	5113653.1

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत थानाकलां के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹23513.10** था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	5113653.10
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**5089201.00**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	939.00
4)	**योग (2+3)**	**5090140.00**
5)	**अन्तर (4-1)**	**23513.10**

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि ₹
1	KCCB Thanakalan 14th FC	50067133634	28387.00
2	KCCB Thanakalan	20182001358	1427060.00
3	KCCB Thanakalan (Planning Head)	20182001369	975686.00
4	PNB Thanakalan	1723000100082156	303657.00
5	PNB Thanakalan (15th FC)	1723001700030701	2351645.00
6	Post Office Bangana	7138654064	2766.00
7	SBI Bangana	00000041164123805	0.00
		योग	**5089201.00**
		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	939.00
		योग (1+2)	**5090140.00**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹0.24 लाख के अन्तर बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान

करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को मद स्व: स्त्रोत व अनुदान की 15वें वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹23513.10** का अन्तर पाया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 69/2024 दिनांक 23/01/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 3 दिनांक 24/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59/2024 दिनांक 20/01/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 1 दिनांक 24/01/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹51.14 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59/2024 दिनांक 20/01/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹**5113653.10 की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है । अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से

अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59/2024 दिनांक 20/01/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 1 दिनांक 24/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59/2024 दिनांक 20/01/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 1 दिनांक 24/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.52 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59/2024 दिनांक 20/01/2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर

में अपने पत्र संख्या 1 दिनांक 24/01/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर राशि ₹51674/- **(परिशिष्ट ख) अनुसार** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2022-23	38234	13440	51674	0	51674

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 मोबाइल टावर शुल्क ₹0.60 लाख की वसूली न करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59/2024 दिनांक 20/01/2024 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - ग)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 को **निम्न विवरणानुसार** मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹**60000/-** वसूली हेतु शेष थी जिसे सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96 दिनांक 21/06/2017 व Right of Way Policy–2021 से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या: DIT-FO5(23)/1/2017-I.T.Section–GOHP, दिनांक 09.02.2021 के अनुसार वसूल किया जाना अपेक्षित है। अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वसूली हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी | अत: मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए :-

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	दिनांक 31.03.23 तक वसूली योग्य राशि (₹)
1)	Airtel 1	20000
2)	BSNL 1	20000
3)	IDEA 1	20000
	कुल योग	**60000**

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹3800/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	3800
	योग	**3800/-**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67/2024 दिनांक 23/01/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 3 दिनांक 24/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.20 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 12/2022 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार ₹20274/-** का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 68/2024 दिनांक 23.01.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 3 दिनांक 24/01/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अत: ₹20274/- के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60/2024 दिनांक 20.01.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 2 दिनांक 24/01/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत

करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	8	34
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (ए व बी)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

10 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59/2024 दिनांक 20.01.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 1 दिनांक 24/01/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

11 MAR 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

1190 – 1194 का०/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)03/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

11 MAR 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति

परिशिष्ट क

ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2	2022-23	4965726.1	5252092.084	10217818.18	5104165.084	5113653.1

ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

स्वयं स्त्रोत एवं अनुदान (समेकित) (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2	2022-23	4965726.1	2956692	7922418.1	2808765	5113653.1

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2	2022-23	0	443969	443969	443969	0

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2	2022-23	0	1851431.084	1851431.084	1851431.084	0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत थानाकलां
विकास खंड बंगाणा जिला ऊना (हि.प्र.)

-14- 15

1)	दिनांक 31.03.22 को रोकड़ बही खाता पैरा 4 का अंतशेष	5113653.10
2)	दिनांक 31.03.22 को बैंक का अन्तशेष	**5089201.00**
3)	दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि	939.00
4)	**योग (2+3)**	**5090140.00**
5)	**अन्तर (1-4)**	**23513.10**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ...
... जिला ऊना (हि.प्र.)

16

परिशिष्ट क-I

दिनांक 31.03.22 को बैंक शेषव हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि ₹
1	KCCB Thanakalan 14th FC	50067133634	28387.00
	KCCB Thanakalan	20182001358	1427060.00
	KCCB Thanakalan (Planning Head)	20182001369	975686.00
	PNB Thanakalan	1723000100082156	303657.00
	PNB Thanakalan (15th FC)	1723001700030701	2351645.00
	Post Office Bangana	7138654064	2766.00
	SBI Bangana	00000041164123805	0.00
		योग	**5089201.00**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	939.00
		योग (1+2)	**5090140.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत थानाकलां
वि.ख. बंगाणा जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट "ख"

पैरा संख्या 7.1 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	38234	13440	51674	0	51674

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत थानाकलां
वि.ख. बंगाणा जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'ग'   पैरा संख्या 7.2 में सन्दर्भित

Statement of outstanding Balance of Mobile Towers as on 31.03.2023

2022-23

Sr. No	Tower company / No. of tower	Outstanding as on 01.04.2022	Due for the year 2022-23	Total	Rental realized during 2022-223	Outstanding as on 31.03.2023
1	AIRTEL	20000	00	20000	00	20000
2	BSNL 1	20000	00	20000	00	20000
3	IDEA	20000	00	20000	00	20000
		60000			**TOTAL**	**60000**

Note: - Annual Demand for 2022-23 is nil due to the clause 6 (G) of chapter 2 of right of way policy, 2021 notified by I.T Department Government of Himachal Pradesh vide Notification No. I.T (F)1-1/2020 dated 09-02-2021. It is also certified that no Mobile Tower has been installed on the land of Gram Panchayat.

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत थानाकलां
वि.ख. बंगाणा जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'घ' पैरा संख्या 8 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हि० प्रदेश

क्र.स.	योजना	वाउचर संख्या	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (CUM में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा टनों में	दर	देय रॉयल्टी
1	15 TH FC	88	C/O COMPLITION OF RASTA ABADI STYA DEVI	40	14/12/2022	KARAN SINGH RAJINDER SINGH VILL KAKRANA	बजरी	31	1.62	50.22	80	4017.6
2	14 TH FC	98	C/O LINK ROAD ABDI JAI SINGH VILL KAKRANA	43	20/12/2022	KARAN SINGH RAJINDER SINGH VILL KAKRANA	बजरी	20	1.62	32.4	80	2592
3	14 TH FC	98/1	C/O LINK ROAD ABDI SHANKUTLA DEVI	46	28/12/2022	KARAN SINGH RAJINDER SINGH VILL KAKRANA	बजरी	16	1.62	25.92	80	2073.6
4	PMKSY 2.0	3	C/O CHECH DAM AT DISTANCE OF 500 MTR FROM NH ROAD	86	25/12/2022	SHSHI PAL VILL KAKRANA	रेत	20	1.52	30.4	80	2432
5	PMKSY 2.0	3	C/O CHECH DAM AT DISTANCE OF 500 MTR FROM NH ROAD THANAKHAS	15	25/12/2022	KARAN SINGH RAJINDER SINGH VILL KAKRANA	बजरी	15	1.62	24.3	80	1944
6	PMKSY 2.0	3	C/O CHECH DAM AT DISTANCE OF 500 MTR FROM NH ROAD MAJHER	88	25/12/2022	SHSHI PAL VILL KAKRANA	रेत	10	1.52	15.2	80	1216

7	PMKSY 2.0	3	C/O CHECH DAM AT DISTANCE OF 500 MTR FROM NH ROAD MAJHER	88	25/12/2022	KARAN SINGH RAJINDER SINGH VILL KAKRANA	बजरी	15	1.62	24.3	80	1944
											योग	16219.2
											25% पेनल्टी	4054.8
											कुल योग	20274

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
वि.ख. बंगाणा जिला ऊना (हि.प्र.)

~~20~~ 21